was within the ambit of the foreign policy envisaged by Government;

(c) if not, whether an enquiry has been made into it; and

(d) if so, whether any action has been taken by Government against the erring envoy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALERIO): (a) to (c) as per Government's policy, Indian envoys are empowered to exercise their descretion in matters relating to their attendance at various events in the countries of accreditation. Important NRIs in the USA organise public and private functions which are attended by our envoys to maintain close contacts with the members of the Indo-American community. It is in this context that our Charge d' Affairs in the USA attended a private dinner hosted by a prominent NRI. This dinner was also a fund raiser for the Republican candidates. In the US system such events are an accepted norms and our envoys attend such functions not to promote fund-raising buty to maintain contacts with prominent NRIs and American personalities.

(d) Does not arise.

Agreement Between India and Venezuela

2679. SHRI SUKOMAL SEN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any agreement between India and Venezuela for cooperation in science and technology; and

(b) if so, the details of the agreement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) A Memorandum of Understanding on Science & Technology Cooperation with Venezuela was signed in Caracas on 3rd April, 1987. The MDU provides for bilateral cooperation in S & T through exchange of scientific and technical information, experts and other scientific personnel. It also provides for training of S & T personnel in different fields, grant of research fallowships and execution of joint projects agreed upon by both the Governments.

पासपोर्ट पुस्तिकाओं का आयात

2680. **श्री अनन्त राम जायसवाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री का ध्यान 12 अप्रैल, 1992 के "जनसत्ता" समाचारपत्र के मुख्य पृष्ठ पर "विदेश सचिव के मनमाने फैसलों से रघुनंदन लाल भाटिया सांसत में" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पासपोर्ट पुस्तिकाओं के आयात का प्रस्ताव कब और किन परिस्थितियों में पेश किया गया था;

(ग) क्या पासपोर्ट पुस्तिकाओं के आयात के लिए विश्वव्यापी निविदा आमंत्रित किये गये थे, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और इस संबंध में नियम क्या हैं;

(घ) क्या इस प्रस्ताव को पेश करते समय सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया था कि इस प्रकार के आयात से पासपोर्ट संबंधी सुरक्षा-पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) वर्ष 1990, और 1991 और जनवरी, 1992 से सितम्बर, 1992 तक पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा अलग-अलग प्राप्त किये गए आवेदनों की संख्या कितनी है, और कितने पासपोर्ट जारी किये गये तथा उक्त अवधि के दौरान इंडिया सिक्योरिटी प्रेस द्वारा सप्लाई की गई पासपोर्ट पुस्तिकाओं की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) से (ङ) सरकार ने 12 अक्तूबर, 1992 के जनसत्ता में इस शीर्षक से छपी खबर देखी है।

पासपोर्ट के लिए लम्बित आवेदनों को निपटाने की आवश्यकता को देखते हुए जुलाई-सितम्बर 1992 में पासपोर्ट पुस्तिकाओं के आयात की बात सोची गई थी क्योंकि उस समय पर्याप्त संख्या में ये पुस्तिकाएं अन्यथा तत्काल उपलब्ध नहीं थीं। लेकिन अन्ततः यह फैसला किया गया था कि हम अपनी जरूरत को नासिक स्थित भारत सुरक्षा प्रेस के माध्यम से ही पूरा करेंगे और उसने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा दी।

प्रस्तावित आयात के सम्वेदनशील स्वरूप को देखते हुए ऐसी विश्वसनीय और अनुभवी फर्मों से प्रस्ताव मांगे गए थे जो ऐसे ही कामों के लिए जानी जाती हैं। इस प्रस्ताव पर विचार करने में सरकार ने सुरक्षा सम्बन्धी सभी बातों को ध्यान में रखा था। वर्ष 1990, 1991 और जनवरी-सितम्बर 1992 में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों तथा भारत सुरक्षा प्रेस, नासिक से प्राप्त पासपोर्ट पुस्तिकाओं का तुलनात्मक विवरण नीचे लिखे अनुसार है:

प्राप्त आवेदन पत्र

1990	15.74 लाख
1991	24.03 लाख
जनवरी से सितम्बर 1992	19.18 लाख

जारी किए गए पासपोर्ट

1990	15.39 लाख
1991	16.15 लाख
जनवरी से सितम्बर 1992	16.42 लाख

प्राप्त खाली पासपोर्ट पुस्तिकायें

1990	13.93 लाख
1991	16.43 लाख
जनवरी से सितम्बर 1992	17.4 लाख

टिप्पणी: इन आंकड़ों में वे पुस्तिकायें भी शामिल हैं जिन्हें नये पासपोर्ट जारी करने तथा विविध सेवायें प्रदान करने दोनों के लिए किया जायेगा।

हिन्दू तीर्थयात्रियों को बीजा

2681. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार हिन्दू तीर्थयात्रियों को बीजा जारी करने में आनाकानी करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत सरकार इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) 1990 के बाद कई अवसरों पर पाकिस्तान ने प्रशासनिक और सुरक्षा कारण बताकर हिन्दू तीर्थयात्रियों के जत्थों की यात्रा को रद्द करने या स्थगित करने के लिए कहा है।

(ग) और (घ) इस सिलसिले में सरकार पाकिस्तान की सरकार के सम्पर्क में है। सरकार का मानना यह है कि दोनों देशों के बीच 1974 में धर्म स्थानों की यात्राओं के बारे में जो प्रोटोकोल सम्पन्न हुआ था, उसके अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान को तीर्थयात्रियों को पूरी सुविधाएं देनी चाहिएं।

Marketing of 'Gautam Buddha Wine'

2682. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received strong protests from the Buddhist Malabodhi Society in Sri Lanka against the marketing of a "Gautam Buddha Wine" manufactured by an Indian manufacturer injuring the religious sentiments of the Buddhists;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action has been taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA) (a) to (c) The Mahabodhi Society of Sri Lanka has drawn the attention of the Government of India to the reported use of the name of Gautam Buddha for a liquer manufactured by an India company. The Mahabodhi Society of Sri Lanka has requested the Government of India to enquire into the matter and ensure that this label is withdrawn. The matter has been referred to the Ministries of Commerce and Industry who are making investigations.